झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

नया समाहरणालय भवन, ब्लॉक–सी0, चाईबासा रोड, खूँटी – 835210

Email ID – jepkhunti@gmail.com

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी.) के अन्तर्गत 25% सीट में नामांकन से संबंधित आम–सूचना।

निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी.) के अन्तर्गत जिले के सभी गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक छोड़कर) को सत्र 2025–26 में 25% पर नामांकन लिया जाना है। 25% कोटि में नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन कार्यालय के वेबसाइट www.jepkhunti.in पर दिनांक 01.03.2025 से 26.03.2025 तक किया जायेगा एवं माता–पिता/अभिभावक किये गये आवेदन का प्रिंट निकालकर सभी दस्तावेज को संलग्न एवं स्वअभिप्रमाणित करते हुए **झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी के कार्यालय** में दिनांक 31.03.2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। कोई भी गलत प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित माता–पिता/ पालक/अभिभावक की होगी। माता–पिता/अभिभावकों द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन एवं अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों की समुचित जाँचोपरान्त तथा निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(सी.) के प्रावधानों के अनुरूप योग्य बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय में लिया जायेगा। नामांकन हेतु विद्यालय का नाम, रिक्त सीट, योग्यता एवं आवेदन करने संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

–ह0–
जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी।

ज्ञापांक 175 खूँटी, दिनांक 27/02/25

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आम–सूचना का प्रकाशन जिले के सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा करेंगे।

27/2/25

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी।

Scanned with OKEN Scanner